आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–63/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री विकास कुमार वर्मा, प्रभारी सहायक गोदाम, प्रबंधन बगोदर, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये तथ्यों को निराधार बताया है। आयोग ने दूरभाष पर ही शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन को पढ़ कर सुनाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन आयोग को भ्रमित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता द्वारा ये कहे जाने के बाद आयोग इस मामले की विस्तृत जांच का जिम्मा आयोग के सदस्य सचिव को देता है। आयोग सदस्य सचिव को निदेश देता है कि इस पूरे मामले की जांच 15 दिनों में कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। तत्पश्चात् आयोग इस वाद में अग्रेत्तर आदेश पारित करेगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

:\Premlata\Court.docx57